

राजस्थान सरकार
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, करेड़ा, जिला - भीलवाड़ा

:: आदेश ::

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी लाडवास व भू अभिलेख निरीक्षक केमाली की रिपोर्ट तथा तहसीलदार / नायब तहसीलदार की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम लाडवास, पटवार हल्का लाडवास तहसील करेड़ा व जिला भीलवाड़ा की जमाबंदी संवत् ६०३-१०-६७६ में खाता संख्या ६७५-१०-२०७७ लाडवास, ५२०, ५२४, ५२९, ५३०, ५३१, ५३२, ७७९, में वर्तमान दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जा कर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिए जाते हैं :-

| क्रम संख्या | ग्राम | खाता संख्या | वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध) | आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है) |
|-------------|------------------------------|-----------------------------------|---|--|
| 1 | लाडवास | 520, 524, 529, 530, 531, 532, 779 | श्रीमन्तर उर्फ शमशा मार वसीम सि० लाडवास | श्रीमन्तर उर्फ शमशा मार वसीम सि० गुलाब चौबी सि० लाडवास |
| 2 | श्रीमन्तर उर्फ शमशा मार वसीम | 132, 133 | — 11 — | — 11 — |

उपखंड अधिकारी पदेन
उपखण्ड अधिकारी करेड़ा
सहायक कलेक्टर करेड़ा
जिला - भीलवाड़ा

क्रमांक:- न्यायालय / 2022 / 128

दिनांक:- 22/6/22

प्रतिलिपि:-

1. तहसीलदार करेड़ा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाये।
2. प्रार्थी श्री श्रीमन्तर उर्फ शमशा मार वसीम सि० गुलाब चौबी सि० लाडवास

उपखंड अधिकारी पदेन
करेड़ा जिला भीलवाड़ा



2022/340